



SUPERINTENDENT  
पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल  
PASSPORT OFFICE, BHOPAL

(कुलदीप शर्मा)  
(T. D. SHARMA)

अतिरिक्त

पासपोर्ट के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया  
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA

THESE ARE TO BE ACQUIRED AND REQUISITE IN THE NAME OF THE  
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY  
CONCERN TO AVOID THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR  
HINDERANCE AND TO AVOID HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND  
PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

एक बात से सादर ध्यान देने की बात पर, उक्त बात से निम्नका  
आदेश है कि, प्रत्येक एक व्यक्ति को जारी है कि वे बाहर को बिना रोक-टोक,  
आसानी से जा सकें, और उसे बाहर को ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें  
जिसे वह आवश्यकता हो।



पासपोर्ट धारक का फोटो  
Photograph of bearer



पासपोर्ट धारक के हस्ताक्षर  
Signature of bearer

नाम  
Name

VIVEK KUMAR SINGHAL

लिंग  
Sex

पुरुष / स्त्री  
MALE / FEMALE

जन्म स्थान  
Place of birth

INDORE (M.P.)

जन्म की तारीख  
Date of birth

07.12.1975

राष्ट्रियता  
National status

भारतीय /  
CITIZEN OF INDIA /

पासपोर्ट संख्या  
Passport number

T-742852

निष्पत्ति की तारीख  
Date of issue

5.9.1995

जारी करने का स्थान  
Place of issue

BHOPAL

स्थायी पता  
Permanent Address: 47, MANISH BACH,

INDORE 452001

(M.P.)

दूरभाष नम्बर  
Telephone No. 464344

वर्तमान पता  
Present Address



दूरभाष नम्बर  
Telephone No.

यह पत्रिका 4 पृष्ठों पर है।  
Particulars of children included in this passport

प्राप्त  
Date of Birth

लिंग / लिंग  
Male / Female

1)		
2)		
3)		
4)		

यह पत्रिका 36 पृष्ठ है।  
This passport contains 36 pages.

1) यह पत्रिका सभी देशों की यात्रा के लिए वैध है।  
THIS PASSPORT IS VALID FOR TRAVEL TO ALL COUNTRIES.

2) यदि पत्रिका न बदलें यात्रा की  
यह पत्रिका की वैधता 4.9.2005 (4.9.2005) तक बढ़ाई गई है।  
Unless renewed validity of this passport expires on:

3) संख्या  
No.

यह पत्रिका जो वैधता  
Validity of this passport  
is extended up to



4) संख्या  
No.

यह पत्रिका की वैधता  
Validity of this passport  
is extended up to




विविध सेवा / MISCELLANEOUS SERVICE

आरक्षित रत किया  
एव नया जर्सी किया गया

टिप्पणी / OBSERVATION

आरक्षित रत किया  
एव नया जर्सी किया गया

Emigration Check Required (ECR) except for Bangladesh, Pakistan and all Countries in Europe and North America.

उत्प्रवास दर्जा:  
Emigration Status:

~~Emigration Check No.~~

Stamp  
(हिरादत्त शर्मा)  
(T. D. SHARMA)  
अधीक्षक  
SUPERINTENDENT  
पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल  
PASSPORT OFFICE, BHOPAL

34

वीजा / VISAS

यात्रा व्यय के लिए विदेशी मुद्रा  
FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES.

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के प्रचिकार - प्राप्त व्यापारी के जवाब और कोई न हो।  
No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

तारीख	देश का नाम जिसकी यात्रा के लिए मुद्रा देती गई	Country of travel for which exchange has been sold.	की गई अथवा लौटाई गई रकम (बिट्टरान नोट या रुपये के इस्तेमाल में) Amount issued or refunded (Sterling or rupee equivalent to nearest £. or Rs.)	मुद्रा के प्रतिनिधित्व - प्राप्त अथवा दी की गयी और उसके इस्तेमाल stamp and signature of Authorised Dealer selling exchange.

35



RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

पिता का नाम / मातृपितामह

NAME OF FATHER / MAHESH-SINGH

RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

पिता का नाम

Name of Mother

NAME OF MOTHER NIRMALA SINGH  
RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

पति या पत्नी का नाम

NAME OF SPOUSE

N.A.  
RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

पासपोर्ट धारक के जवान के छाप चिह्न

Visible distinguishing mark of the passport holder

CUT ON CHIN

RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF

RITY OF INDIA PASSPORT AUTHORITY OF



### पंजीकरण

हिंदुओं में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सहाय्य दी जाती है कि वे अपने को निवृत्त भारतीय निवृत्त / बीडी पर पंजीकृत करा सकें।

### चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी से इस पासपोर्ट के संबंध में कोई सूचना मिलने पर बिना देर के इसे लुप्त करने शामिल है, उसका पुनर्प्राप्त किया जाए।

यह पासपोर्ट इसके द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के हस्तों में ही रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या चिह्न न हो किया जाना चाहिए।

पासपोर्ट पुनर्प्राप्त, धारक, धारक की यात्रा पर उसकी विपरीत तत्काल भारत में निवृत्त भारतीय पासपोर्ट अधिकारी को (जहां वह भारत में है) निवृत्त भारतीय निवृत्त को और स्वतंत्र निवृत्त को ही बर्ती चाहिए। निवृत्त भारतीय निवृत्त के निवृत्त की प्रतिलिपि पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

### REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

### CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

C